



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2026/D-89

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 266837 दिनांक 14/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sarita Jangid W/o Rakesh Jangid	श्री बुद्ध करण जांगिड पुत्र स्व. श्री मदन लाल जांगिड	48	143.33 SQ. YARD	Cooperative	KAILASHPU RI Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री बुद्धकरण जांगिड का मृत्यु प्रमाण पत्र, श्री बुद्धकरण के वारिसान् श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री स्व. श्री बुद्ध करण शर्मा द्वारा दिनांक 19.08.2020 को श्री दिनेश कुमार, श्री रूपेश जांगिड, श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्रान् स्व. श्री बुद्ध करण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हकत्याग पत्र, श्रीमती ललिता शर्मा पत्नी स्व. श्री बुद्ध करण शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत पारिवारिक बंटवारानामा, श्री दिनेश कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड में से 47.77 वर्गगज के आधे हिस्से बाबत सरिता जांगिड



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								जांगिड पत्नी श्री राकेश जांगिड के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, श्री राकेश कुमार शर्मा द्वारा भूखण्ड संख्या 48 के पूर्वी हिस्सा क्षेत्रफल 47.77 वर्गगज बाबत श्रीमती सरिता जांगिड पत्नी श्री राकेश कुमार जांगिड के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड उपहार पत्र।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sarita Jangid W/o Rakesh Jangid को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |